IJAER/ May- June -2022/Volume-11/Issue-3 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

विश्व में साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट एक सामान्य अध्ययन

भावना गुप्ता
शोधार्थी
स्कूल ऑफ एजूकेशन
एन०एच०-58 मोदीपुरम (मेरठ) भारत
bhavanatcvp@gmail.com

डा० सुरक्षा बंसल
शोध निर्देशिका
शोभित डीम्ड विश्वविद्यालय
drsurakshabansal@gmail.com

सारांश

कॉपीराइट यानी साहित्यिक चोरी बौद्धिक संपत्ति की चोरी आज की शब्दावली में कॉपी पेस्ट यानी गुपचुप तरीके से दूसरों की मेहनत पर अपने नाम का ठप्पा किसी दूसरे की भाषा विचार उपाय शैली आदि का अधिकांशत: नकल करते हुए अपनी मौलिक रिक्ति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है यूरोप में 19वीं शताब्दी के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा। इसके पूर्व की शताब्दियों में लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों की हूबहू नकल करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उस का संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी माना जाता है। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है ऐसे में पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है और ऐसे अनैतिक कार्य आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। भारत में शोध कार्यों की नकल में लगातार हो रही वृद्धि शोध व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही है। यह कार्य छात्र ही नहीं विश्वविद्यालयों में बरगद बनकर बैठे लोग भी कर रहे हैं। यह अकादमिक दिवालियापन ही नहीं कॉपीराइट का अतिक्रमण भी है जो अपराध के घेरे में आता है मौलिक साहित्य की कमी और साहित्य चोरी जैसी घटनाओं से भाषा की समृद्धि था और लेखन शैली प्रभावित होती है सत्य तो यह भी है कि तथा कथित साहित्य चोरों को सार्वजनिक अपमान का डर न होना भी इसका कारण है किसी अन्य के विचार चुराने से बचने के लिए लेख लिखने से पहले ही अपने तर्क और तथ्य तैयार कर लेने चाहिये ध्यान रहे कि किसी ओर के विचारों से आपका अपना लेख तैयार नहीं हो सकता। हाँ, वो आपके लेख में संदर्भ के तौर पर जरूर हो सकते हैं। अत: अच्छा है कि अपनी बात सीधे शब्दों में कहें। बस अपने स्रोतों का हवाला दें और अपने क्षेत्रों को कवर करें जिससे भाषा की मौलिकता और अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे से बचा जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा साहित्यिक चोरी के मुददे पर एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया है।

कीवर्ड्स—प्लेगिरिज्म, कॉपीराइट, प्रौद्योगिकी अतिक्रमण एवं अकादमिक अनाधिकृत।

प्रस्तावना—

प्लेगिरिज्म का अर्थ है साहित्यिक चोरी यानी किसी दूसरे की लेख, फोटो एवं वीडियो इत्यादि को चोरी कर लेना दूसरे व्यक्ति के कंटेन्ट यानी मैटीरियल को बिना उसकी अनुमति के अपनी वेब साइट ब्लॉग या फिर किसी अन्य माध्यम से उसे उपयोग करना इसे एक प्रकार से ऑनलाइन चोरी या कॉपीराइट भी बोल सकते है जिससे इंसान ने वास्तविक रूप से इसे लिखा है वहीं इस पर मालिकाना हक रखता है और उसकी मर्जी के बगैर उसके द्वारा बनाए गए कंटेन्ट को किसी दूसरी जगह में प्रयोग करना गैरकानूनी है

इण्टरनेट की दुनिया ने प्रत्येक भाषा के साहित्य और लेखन को जनमानस के करीब और उनकी पहुँच मिला दिया है इससे रचनाकारों की लोकप्रियता में भी अभिवृद्धि हुई है किन्तु इन्हीं सब के बाद उनके सृजन की चोरी भी बहुत बड़ी है जिन लोगों को लिखना नहीं आता या सस्ती लोकप्रियता के चलते वो लोगों व अन्य प्रसिद्ध लोगों की रचनाओं को तोड़ मरोड़कर या फिर कई बार तो सीधे उनका नाम हटाकर खुद के नाम से प्रकाशित भी करवा लेते हैं, ऐसी विकट स्थिति में कई बार इतना प्रचार कर दिया जाता है कि मूल रचनाकार को भी लोग साहित्य चोर समझने लगते हैं साहित्यिक सामग्रियों की चोरी कर अपने प्रकाशित साहित्य या सन्दर्भ में शामिल कर लेना अखबारों या सोशल मीडिया में अपने नाम से प्रचारित करना दूसरे की कविताओं को सरेआम मंचों से सुनाना, साझा संग्रहों में स्वयं के नाम से दूसरे की रचनाएं प्रकाशित करवाना आदि साहित्य चोरों का प्रिय शगल बन चुका है आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है ऐसे में पूरा विश्व एक वैश्विक गांव में बदल गया है और ऐसे में साहित्य चोरों के अनैतिक कार्य आसानी से पकड़ में आ जाते हैं इस समस्या को प्लेगिरिज्म कहा जाता है और यह अकादमिक बेमानी है। कानूनी रूप से भी देखा जाए तो साहित्यिक चोरी धोखाधड़ी की श्रेणी में भी आता है इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं अगर आप किसी अन्य के रचनात्मक कार्य का उपयोग करते हैं तो आपको उनके हर स्रोत का श्रेय देना होगा इसलिए ऑनलाइन या मुद्रित सामग्री के लिए फुटनोट या उद्धरण का प्रयोग करें किसी भी समय आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी रचना या आविष्कार किए गए किसी भी चीज़ का हिस्सा या किसी का उपयोग करते हैं तो आपको उन्हें क्रेडिट देना होगा यदि आप लेखन या विचारों को चोरी करते हैं और उन्हें अपने ही रूप में प्रयोग करते हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं।

विकिपीडिया के अनुसार, 'किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय एवं शैली आदि का अधिकांशत: नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित कराना साहित्यिक चोरी कहलाती है। जब हम किसी के द्वारा लिखे हुए साहित्य को बिना उसका सन्दर्भ दिये अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं, इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक बन जाता है इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है।'

अमेरिकन हैरिटेज डिक्शनरी में, 'साहित्यिक चोरी को ऐसे परिभाषित किया गया है कि किसी अन्य लेखक के विचारों तथा भाषा का अनाधिकृत उपयोग या नकल करके उसको अपनी मूल कृति के रूप में प्रस्तुत करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिन दोगुनी रात चौगुनी फल फूल रही प्लेगिरिज्म की इस बीमारी की रोकथाम

और अनुसंधान की सुचिता बनाए रखने के लिए छात्रों अध्यापकों और दूसरे स्टाफ के लिए नए कड़े नियमों का प्रावधान एवं दण्ड योजना का आयोजन किया गया है। यूजीसी कहती हैं कि साहित्यिक चोरी के दुष्परिणामों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर लेखन शोध और अनुसन्धान में ईमानदारी और जागरूकता लायी जाएं। इस विषय पर सेमिनार, वर्कशॉप एवं भाषण करवाए जाएं। यूजीसी साहित्यिक चोरी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान केन्द्रों में अलग—अलग तंत्र स्थापित करने आधुनिक तकनीकी टूल्स के प्रशिक्षण से चोरी पकड़ने की भी अनुशंसा करती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम स्पष्ट कहते हैं कि साहित्यिक चोरी का मामला सामने आने पर एकेडमिक मिसकंडक्ट पैनल एम.पी. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ प्लेगिरिज्म डी.एस.पी. को जांच सौंपी जाएगी इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्लेगिरिज्म की पुष्टि होने पर अध्यापक की नौकरी और विद्यार्थियों का पंजीकरण समाप्त हो सकता है। साहित्यिक चोरी पर बने रेग्युलेशन में ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन किया गया है।

उत्तर प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. गर्ग साहित्यिक चोरी को अपराध मानकर कहते हैं कि उच्च शिक्षा आयोग इसे लेकर शक्ति के मूड में है लेकिन चतुर, लालची, बेबाक, निडर एवं मुंहजोर चोरों पर इसका कोई असर नहीं। वे आश्वस्त हैं कि मूल लेखक इस चोरी को पकड़ ही नहीं सकता। कभी कभार ही इनके औंधे मुँह गिरने की नौबत आती है जैसे गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क अरविंद कौर ने प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में 1997 में पी—एच.डी. शुरू की और 2000 में उपाधि ले ली। इसी दौरान कुछ शिकायतें आने पर सिंडिकेट ने अरविंद कौर के थीसिस और गाइड डा० बेदी की डी.लिट. की थीसिस की जांच करवाई और दोनों में शत प्रतिशत नकल पाई गई। ऐसे में अन्य विभागों से भी प्लेगिरिज्म के चार और केस भी पाए गए। डा० मधु संधु की सन्मार्ग प्रकाशन दिल्ली से 1984 में प्रकाशित पुस्तक साठोत्तरी महिला कहानीकार की पुस्तक को टाइप करवाकर डिग्री लेने वाली अरविंद कौर को टर्मिनेट भी किया गया और उसकी डिग्री वापस ले ली गयी। 23 अगस्त 2017 को उसे फिर से नौकरी पर बहाल करने का फैसला आया। यह प्लेगिरिज्म नाक के नीचे होने वाला अपराध था जो उसी विश्वविद्यालय के उसी विभाग के लेखक और गाइड के द्वारा किया गया था।

एक दूसरी घटना का भी उल्लेख करना चाहूंगी जन कृति के वर्ष 2 अंक 23 जनवरी—मार्च में प्रकाशित आलेख प्रवासी एवं भारतीय महिला कथा साहित्य में नारी उत्पीड़न एवं सशक्तिकरण सोनिया माला सुधार जो पंजाब विश्वविद्यालय में प्रकाशित हुआ जिसे डा० मधु संधु की पुस्तक हिन्दी का भारतीय प्रवासी एवं अप्रवासी महिला कथा लेखन नमन प्रकाशन दिल्ली 2013 के अध्ययन नारी उत्पीड़न एवं सशक्तिकरण के संदर्भ में भारतीय एवं प्रवासी महिला लेखन का तुलनात्मक अध्ययन में से शब्दश: नकल कर पूर्ण किया किया गया। इस चोरी का पता उन्हें मई माह में चला। संपादक से संपर्क किया और संपादक कुमार गौरव मिश्रा ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कॉपी करने वाली सोनिया माला को भविष्य में पत्रिका में उनके लेख न छापने का निर्णय लिया। यही

सूचना फेसबुक पर डाली गयी तो परिणाम चौंकाने वाले थे कि सोनिया माला के गाइड लुधियाना कॉलेज के प्रोफेसर सिंह के प्रति ढेरों प्रतिक्रियाएं मिलीं। इसे दु:खद, अनैतिक एवं अनुचित दंडनीय अपराध मानते हुए गाइड और सोनिया माला दोनों के दोषी होने की आशंका और अथॉरिटीज द्वारा दोनों को कटघरे में खड़े करने की डा० शैली जग्गी, प्रिंसिपल ज्योति ठाकुर और मित्रों ने पुष्टि की।

डा० अंजना शर्मा अपनी टिप्पणी में लिखती हैं कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक बार हू—बहू एक जैसी किताबें देखी थी। लेखक अलग—अलग थे पूरी चोरी की हुई जिन्होंने चोरी की थी उनका नाम यहाँ नहीं ले सकती।

पठानकोट से **डा० सुनीता डोगरा** ने लिखा यह तो अठन्नी चोर है बड़े—बड़े शातिर तो सामने डाका डालकर बच रहे हैं ऐसे में प्लेगिरिज्म के ढेरों केस अपराध याद आते हैं राजीव मल्होत्रा द्वारा एण्ड्रयू जे० निकोलसन की नकल का एक बड़ा मुद्दा था। भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया को साहित्यिक चोरी के कारण सी.एन.एन. और टाइम द्वारा निलम्बित होना पड़ा जिसे बाद में पत्रकारिता भूल मान उन्हें वापस ले लिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति दीपक पेन्टल को इसी प्लेगिरिज्म के कारण स्थानीय अदालत में प्रोफेसर पी. सारथी की अपील पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर बॉस मशहूर खान की नियुक्ति को साहित्यिक चोरी के कारण चुनौती दी गई और हर बार कोर्ट में न पहुंचने पर उन पर 25,000 का जुर्माना किया गया। बेंगलुरु से अनविता वाजपेयी ने भी चेतन भगत पर प्लेगिरिज्म का आरोप लगाया और अदालत ने उनकी पुस्तक वन इंडियन गोल्ड को बिक्री से कुछ देर के लिए रोक दिया। द कपिल शर्मा शो के कीकू शारदा पर भी चुटकुला चोरी का आरोप लगा पिछले दिनों शायद फेसबुक पर ही सुधा ओम ढींगरा ने अपनी एक कविता और स्मृति आलेख की चोरी का जिक्र किया था थोड़ा सा गहरे पानी उतरो तो छोटे बड़े नकलचियों के अंबार मिल जाएंगे। आम बुद्धिजीवी के लिए यह मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा है, मगर से बैर लेने जैसा। इस तरह साहित्यिक चोरी या इण्टरनेट पर आम हो चली है। कई चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे लोगों की रचनाओं में कुछ एक शब्दों का हेरफेर करके खुद की पुस्तक भी मुद्रित करवा लेते हैं इस तरह की चोरी से बचने के लिए साहित्यकारों को भी कुछ प्रबंध करने होंगे।

- सबसे पहले तो अपनी मौलिक रचनाएं अपने ब्लॉग में दिनांक और समय के साथ प्रकाशित करें ऐसा करने से आपकी रचनाओं के प्रथम प्रकाशन का संदर्भ और मौलिकता का साक्ष्य उपलब्ध होगा।
- सोशल मीडिया में प्रकाशन के पूर्व रचनाएं साझा करने से बचें अन्यथा आप सबूत देने में असमर्थ रहेंगे और साहित्य चोर उस पर अपनी मौलिकता का प्रमाण दर्ज कर लेगा।
- यदि आपने किसी भी संदर्भ का उपयोग किया है तो संदर्भ सूची में उसका उल्लेख जरूर करें अन्यथा आप पर भी साहित्य चोरी का आरोप लग सकता है।
- सोशल मीडिया में रचनाओं को हर जगह अपने ब्लॉग की लिंक या जहाँ प्रकाशित हुई है उसी संदर्भ के साथ साझा करें यह चोर की मनोस्थिति पर भी प्रभाव डालेगा।

- कही भी आपको अपनी रचनाओं की चोरी नजर आए तो तुरंत उसकी शिकायत पर्याप्त साक्ष्य और स्वयं की मौलिक रचना होने के साक्ष्य के साथ नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं।
- अपनी पुस्तक को आई.एस.बी.एन. में ही प्रकाशित करवाएं।

साहित्यिक चोरी के सामान्य प्रकार—

शिक्षकों और छात्रों के लिए साहित्यिक चोरी को स्पष्ट करने के प्रयास में टर्नीटिन ने दुनिया भर में एक सर्वेक्षण किया जिसमें लगभग 900 माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्रशिक्षकों में साहित्यिक चोरी को सबसे सामान्य रूपों की पहचान करने और उन्हें उस स्थान पर रखने के लिए कहा गया है जिसे साहित्यिक चोरी करार दिया गया है।

क्लोन साहित्यिक चोरी सिटी आर.एल. प्लस सी. साहित्यिक चोरी, रीमिक्स साहित्यिक, चोरी साहित्यिक, चोरी खोजें और बदलें, साहित्यिक चोरी को रीसायकल करें, हाइब्रिड साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी एग्रीगेटर, प्लेगिरिज्म मशहूर साहित्यिक, चोरी पुन: ट्वीट साहित्यिक चोरी।

शिक्षा विभाग का रेग्युलेशन एक्ट—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव पी.के. ठाकुर ने विश्वविद्यालय सहित छात्रों के नाम जनसूचना जारी की है कि रिसर्च और साहित्यिक चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, इसी के चलते यू.जी.सी. ने दूसरे के ज्ञान को अपना बताने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसकी सिफारिशों के आधार पर अब साहित्यिक चोरी रोकने के लिए रेग्युलेशन 2017 तैयार किया गया है। इसके आधार पर रिसर्च स्कॉलर्स शिक्षक या विशेषज्ञ अपनी—अपनी राय भेज सकते हैं। यह रेग्युलेशन नौ पन्नों का है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा है कि साहित्य रिसर्च की चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। यदि कोई रिसर्च स्कॉलर 10 फीसदी सामग्री की चोरी करता पकड़ा गया तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

छात्रों पर होने वाली कार्यवाही—

लेवल वन—

10% से 40% साहित्यिक चोरी में छात्र को किसी भी प्रकार से कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही छह महीने के अंदर दोबारा साहित्यिक चोरी से मुक्त शोध सामग्री जमा करने का मौका दिया जाएगा।

लेवल टू—

40% से 60% साहित्यिक चोरी में संबंधित छात्र को कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही शोध पुन: जमा करने के लिए अधिकतम 18 महीने का समय दिया जाएगा।

लेवल थ्री—

60% से अधिक की साहित्यिक चोरी के प्रकरण में संबंधित छात्र को कमेटी द्वारा कोई अंक या क्रेडिट प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

फैकल्टी व स्टाफ पर कार्रवाई

लेवल वन—

10% से 40% साहित्यिक चोरी के मामले में मैनुस्क्रिप्ट हस्तलिपि वापस लेने को कहा जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर एक वर्ष का प्रतिबंध।

लेवल टू—

40% से 60% साहित्यिक चोरी के मामले में मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेने को कहा जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रकाशन पर दो वर्ष के प्रतिबंध के साथ ही एम.फिल. या पी—एच.डी. स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध।

लेवल थ्री—

60% से अधिक की साहित्यिक चोरी पर अगले 2 साल तक वेतनमान में वृद्धि पर रोक प्रकाशन के लिए दी गई मैन्युस्क्रिप्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। 3 वर्ष तक प्रकाशन पर प्रतिबंध व एम.फिल. या पी—एच.डी. स्कॉलर के गाइड के रूप में कार्य करने पर तीन वर्ष का प्रतिबंध।

साहित्यिक चोरी बनाम ट्रेडमार्क उल्लंघन—

हालांकि अलग—अलग शब्द साहित्य चोरी, कॉपीराइट उल्लंघन और ट्रेडमार्क उल्लंघन अक्सर परस्पर विनिमय के लिए उपयोग किए जाते हैं। परंतु प्रत्येक के अपने अलग अलग अर्थ और अनुप्रयोग है।

शैक्षिक उल्लंघन—

हालांकि यह एक आपराधिक या नागरिक अर्थ में अवैध नहीं है, जब कोई साहित्यिक चोरी करता है तो अधिनियम कार्य लेखक के खिलाफ़ होता है जैसे—

- क्रेडिट विचारों के लिए गलत उदाहरण तैयार करना जो आपके अपने नहीं है।
- किसी के शब्दों को बिना स्वीकार किए उसे उद्धृत करना।
- एक शोध पेपर की प्रतिलिपि बनाना खरीदना और इसे अपने अनुसार बदलना।
- स्रोत का हवाला देते हुए यह लेख को श्रेय दिए बिना अपने काम में किसी और के सटीक शब्दों का उपयोग करना।
- लेखक के मूल काम पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए विचारों को परिष्कृत या पुनर्गठन करना।

कॉपीराइट अधिकार उल्लंघन—

कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब कोई कॉपीराइट कार्य का उपयोग करता है और कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना काम को पुन: विश्व वितरित, निष्पादित या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है।

कॉपीराइट लोगों को एवं जनता को सूचित करने का एक आसान तरीका देता है कि काम उनका है और इसका उपयोग होने पर उचित मान्यता प्रदान करें। कॉपीराइट किए गए काम में आम तौर पर कॉपीराइट नोटिस होता है, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं होती। यह सुनिश्चित करना दूसरों का दायित्व है कि वे जिस कार्य का उपयोग

कर रहे हैं उस पर कोई कॉपीराइट नहीं जुड़ा है। कॉपीराइट उल्लंघन के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक वीडियो सामग्री में संगीत का उपयोग है जिसे आपको प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

ट्रेडमार्क का उल्लंघन—

कॉपीराइट के विपरीत ट्रेडमार्क प्राथमिक रूप से साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की रक्षा करता है। ट्रेडमार्क नाम प्रत्येक रंग, माल और सेवाओं जैसे कार्यों की सुरक्षा करता है, वे कम्पनियों को उन चीजों की रक्षा करने का एक तरीका देता है, जो ब्राण्ड अन्तर्गत एक व्यवसाय की मदद करते हैं और ग्राहकों के बीच मान्यता का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रिय पब्लिशिंग कम्पनी उन पुस्तकों और फिल्मों को कॉपीराइट करेगी जिन्होंने कम्पनी के नाम और लोगो को ट्रेडमार्क बनाया था।

साहित्यिक चोरी के परिणाम—

साहित्यिक चोरी कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है इसके लिए मैं वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण देना चाहूंगी—

- संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉ स्कूल के एक पाठ्यक्रम में वर्णित एक लेख के एक उद्धरण में प्रकाशित कानून की समीक्षा के पाँच पन्नों की नकल की, जिसके कारण वह उक्त पाठ्यक्रम विफल रहे। ब्रिटेन के नील नामक व्यक्ति द्वारा किए गए भाषणों की आलोचना के लिए बाइडेन को राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटना पड़ा।
- हैरोल्ड कोर्ट लैंडर ने एलेक्स हेली पर आरोप लगाया जो अपनी पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है जिसे एक बहुत प्रसिद्ध श्रृंखला में बदल दिया गया और परिणामस्वरूप हेली के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार मिला। उनकी पुस्तक के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हुए अफ्रीकी कैलेंडर ने हेली पर मुकदमा दायर किया और हेली ने अंतत: साहित्यिक चोरी में प्रवेश कर लिया जिसने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया।
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एक लेखिका ने अपना करियर तब बर्बाद कर लिया जब वह अपने पहले उपन्यास के कुछ हिस्सों को चोरी कर लेती है, जिसके कारण उसके प्रकाशन ने दूसरा उपन्यास जारी करने से इंकार कर दिया।
- ओहियो विश्वविद्यालय के एलिसन रूट मैन विकिपीडिया को समुद्र में एक सेमेस्टर में भाग लेने का मौका देने के लिए एक निबंध में साहित्यिक चोरी करते हुए पकड़ा गया था। विश्वविद्यालय के नियमानुसार उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। उस समय वह समुद्र में ही थी और उसे घर वापस आने का अपना रास्ता खोजना पड़ा।

यह वास्तविक दुनिया में साहित्यिक चोरी के कुछ उदाहरण हैं और यह न केवल छात्रों को प्रभावित करता है बल्कि सभी प्रकार के रचनाकारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए साहित्यिक चोरी अत्यंत गंभीर मुद्दा है।

प्लेगिरिज्म की वर्तमान स्थिति—

कुछ साल पहले तक शोध पत्र यानी पी—एचडी शोध प्रबन्ध में 50 से 60 प्रतिशत तक साहित्यिक चोरी की शिकायत रहती थी जोकि वर्तमान में मात्र 1 से 2 प्रतिशत ही रह गई है। इसका एक कारण एंटी प्लेगिरिज्म सॉफ्टवेयर को माना जा रहा है। आज विश्वविद्यालय शोधार्थियों को मौलिक और उपयोगी विषय पर शोध करने पर भी ज़ोर दे रहे है। विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्ध में सुधार के साथ इसकी सॉफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय में भी जमा कराते हैं इसे सॉफ्टवेयर पर रखकर देखा जाता है कि शोध प्रबन्ध में कितने फीसद कंटेंट दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट किया गया है। निर्धारित मानकों से अधिक प्लेगिरिज्म मिलने पर शोध पत्र को स्वीकार नहीं किया जाता है। इससे शोध का स्तर सुधरा है शोध पत्र कंटेंट में 10% तक प्लेगिरिज्म स्वीकार कर लिया जाता है। 10 प्रतिशत से अधिक प्लेगिरिज्म पाए जाने पर शोध प्रबन्ध आवश्यक सुधार हेतु लौटा दी जाती है। छह माह में इसे संशोधित कर के शोधार्थी जमा कराते हैं। 60% कंटेंट कॉपी एंड पेस्ट मिलने पर 1 साल के अंदर दोबारा शोध प्रबन्ध जमा होता है।

शोध में कॉपी पेस्ट की स्थिति—

वर्ष	पी—एच.डी. उपाधि प्रदत्त	कॉपी पेस्ट प्रतिशत में
2014	1189	60.97
2015	454	23.28
2016	185	9.48
2017	74	3.79
2018	25	1.28
2019	23	1.17
2020	20	1.16
2021	51	1.14

प्रस्तुत आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि सन 2014 से लेकर 2021 तक किस तरह प्लेगिरिज्म में कमी आई है और 2030 तक इसी अनुपात से साहित्यिक चोरी लगभग समाप्त हो सकती है क्योंकि जहाँ 2014 में कॉपी पेस्ट की स्थिति 60.97% थी और 2021 में यह 1.14 ही रह गई है तो शोध के स्तर में आज काफी सुधार हुआ है जिसकी सकारात्मक संभावना बढ़ती जा रही है।

साहित्यिक चोरी से अपनी शोध को सुरक्षित करें—

अकादमिक लेखन में बाहर के साक्ष्य का उपयोग करना महत्वपूर्ण है लेकिन उन स्रोतों को उचित रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए जो आपके काम में शब्द या विचार आपके अपने नहीं है तो आपको स्रोतों का ठीक से हवाला देना चाहिए और संदर्भ प्रदान करना चाहिए अन्तिम जांच के रूप में संभव साहित्यिक चोरी के लिए अपने काम की जांच करने के लिए टर्नीटिन जैसे उपकरण का उपयोग करना अच्छा है।

साहित्यिक चोरी एक आपराधिक या नागरिक अपराध नहीं है हालांकि एक शैक्षिक संदर्भ में यह बहुत गंभीर अपराध है यह परिस्थितियों के आधार पर आपको बहुत अधिक परेशानी में डाल सकता है। दूसरों के काम की चोरी करना सही नहीं है यदि आप शब्दों, विचारों और दूसरों के तर्कों का संदर्भ देने जा रहे हैं तो अपने स्रोतों का हवाला दें और उसे ही क्रेडिट दें।

प्लेगिरिज्म से बचने के सामान्य उपाय–

शुरुआत में बिना किसी कोर्ट डाटा रिपोर्ट रिसर्च की मदद के लिए अपने विचारों को लिखने की आदत डालें। किसी और का आइडिया चुराने से बचने के लिए शोध लेख लिखने से पहले ही अपने तर्क और तथ्य तैयार कर लें। किसी और के विचार अपने लेख में संदर्भ के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं।

जानकारी के लिए अन्य वेबसाइट और स्रोतों से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो संभल जाएं ज़ाहिर सी बात है कि इन वेबसाइट्स और जानकारी के स्रोतों को भी अपनी सामग्री को लेकर उतनी ही चिंता होगी जितनी कि आपको हैं, अपने लेख में प्रयोग की गई जानकारियों के स्रोतों को लिखना कभी न भूलें।

निष्कर्षत: भारत में जहाँ शोध कार्यों की नकल में लगातार बृद्धि हो रही है और शोध व्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही है। आज उस नकल में कमी होती दिखाई दे रही है क्योंकि साहित्यिक दौड़ में बने रहने का यह सर्वाधिक सुगम ढंग है यह अकादमिक दिवालियापन ही नहीं कॉपीराइट का अतिक्रमण भी है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और एक शोधार्थी, रचनाकार एवं साहित्यकार की छवि को धूमिल करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- डा० अर्पण जैन 'वेब दुनिया आर्टिकल अविचल'।
2- डा० मधु संधु 'साहित्यिक चोरी प्लेगिरिज्म'।
3- rachanakar/gmail.com
4- http//indiankanoon.org&doc
5- http://hindi. your story. com.7, Sep- 2017
6- http://khabar.ndtv.com.topic.plagiarism.news] August 11,2012
7- http://hi.m.wikipedia.org
8- दैनिक जागरण मेरठ जनवरी 12, 2022 पृष्ठ संख्या आठ।